क्यों 'साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एंव क्षतिपूर्ति) विधेयक' का विरोध किया जाना चाहिए

अरुण जेटली

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

दो वर्ष पहले, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया जिसे ' साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा (न्याय और क्षतिपूर्ति) विधेयक' के नाम दिया गया। विधेयक का मसौदा विचार–विमर्श के लिए रखा गया। अन्य लोगों के साथ मैंने इस आधार पर इस विधेयक की कड़ी आलोचना की कि 'कानून और व्यवस्था' और ' सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य का विषय हैं और संसद इस तरह का कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करेगी। यह विधेयक बेहद पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसमें जन्म चिन्हों के आधार पर बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया गया है। इसमें शासन को अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं और धर्म के आधार पर एक समुदाय के पक्ष में शिकायत निवारण और जवाबदेही तंत्र को लाद दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की 2011 में हुई बैठक में, दलगत भावना से हटकर मुख्यमंत्रियों ने विधेयक का इस आधार पर विरोध किया कि यह संविधान के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक होगा।

ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व, समुदाय के आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक बार फिर पत्र लिखकर विधेयक का संशोधित मसौदा भेजा है। इस बारे में अन्य साझेदारों से अब तक पर्याप्त विचार–विमर्श नहीं किया गया है।

कल 2 दिसम्बर 2013 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा. जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री को विस्तार से पत्र लिखा और इसके मसौदे पर अपना कड़ा विरोध प्रकट किया। संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अन्ना द्रमुक के नेताओं ने इसका जिक्र किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस विधेयक पर अपना विरोध दोहराया है। पत्र में कहा गया है कि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस विधेयक के अनेक प्रावधान संविधान के संघीय ढांचे पर अनाधिकार प्रवेश करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि विधेयक के प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका भारी दुरुपयोग हो सकता है। उनका मानना है कि पूर्व के विधेयक में किये गए परिवर्तन केवल खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं। उन्होंने दोहराया कि ''शत्रुतापूर्ण माहौल'' शब्द को '' भयभीत करने वाला, शत्रुतापूर्ण अथवा घृणास्पद माहौल'' के रुप में परिभाषित किया गया है। इसके अलग–अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत सरकारी अधिकारी भी निशाना बन सकते हैं जिनके लिए साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थितियों से निपटना कठिन हो जाएगा। नये मसौदे के

अंतर्गत जिन्हें अधिकार दिये जाएंगे वे राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं जिसके कारण निर्वाचित सरकार को कमजोर बना दिया जाएगा। उन्होंने अंत में कहा है कि ''इसके बावजूद, भारत सरकार नासमझी भरे तर्क वितर्क करके, अड़चनें पैदा कर और एकतरफा दृष्टिकोण अपनाकर ऐसा समानान्तर शासन बनाने का प्रयास कर रही है जो राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करेगा।''

हांलाकि विधेयक का मसौदा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस छेड़कर अच्छा काम किया है। उनके विचार तर्कसंगत, न्यायसंगत और संविधान के संघीय ढांचे के अनुरुप हैं।